1/71711/2021

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या- 8/2022/79-वि-1-2021

लखनऊः दिनांक 18 जून, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**8/2022/**79-1001(099)/91/ 2021/1/61484/2021, दिनांक 31 मार्च, 2021 के माध्यम से **कोविड-19 वैश्विक महामारी के पुन: बढ़ते संक्रमण से बचाव हेतु विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उपयोगार्थ शासकीय कार्यहित में क्रय किये गये 70 एन-95 मास्क**, 05 पैकेट डिस्पोजेबिल मास्क, 05 जेल सैनिटाइजर (500 एम0एल0) एवं 35 स्प्रे सैनिटाइजर (500 एम0एल0) के मूल्य रूपये **17,416/- (रूपये सत्रह हजार चार सौ सोलह मात्र)** का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-2021 में मे0 रेलेण्ड सर्जिकल इम्पोरियम, लालबाग, लखनऊ को किये जाने का आदेश निर्गत किया गया था।

2- उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 31 मार्च, 2021 द्वारा भुगतान हेतु स्वीकृत धनराशि का वित्तीय वर्ष 2020-2021 में बजट के अभाव में देयक तैयार किया जाना सम्भव न हो सकने तथा भुगतान न हो पाने के कारण **विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के उपरिसन्दर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 31 मार्च, 2021 को निरस्त करते हुए** अधोस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विधायी अनुभाग-1,उ0प्र0 शासन के क्रय-आदेश संख्या-79-1001(099)/91/2021/1/61176 /2021, दिनांक 30 मार्च, 2021 द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के पुन: बढ़ते संक्रमण से बचाव हेतु विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उपयोगार्थ शासकीय कार्यहित में क्रय किये गये 70 एन-95 मास्क, 05 पैकेट डिस्पोजेबिल मास्क, 05 जेल सैनिटाइजर (500 एम0एल0) एवं 35 स्प्रे सैनिटाइजर (500 एम0एल0) (जिसकी आपूर्ति विधायी विभाग को दिनांक 30 मार्च, 2021 को उक्त फर्म द्वारा की जा चुकी है) से सम्बन्धित टैक्स इन्वायॅस सख्या- आरएसई/04080, दिनांक 30 मार्च, 2021 में सीजीएसटी एवं एसजीएसटी सहित अंकित कुल धनराशि **रूपये 17,416/- (रूपये सत्रह हजार चार सौ सोलह मात्र) का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-2022 में मे0 रेलेण्ड सर्जिकल इम्पोरियम, लालबाग, लखनऊ को** किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या -42 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- "2014-न्याय प्रशासन आयोजनेत्तर-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता- 08-कार्यालय व्यय" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपर्युक्त धनराशि का भुगतान मे0 रेलेण्ड सर्जिकल इम्पोरियम, लालबाग, लखनऊ लखनऊ को कार्पोरेशन बैंक, शाखा कैसरबाग, लखनऊ स्थित खाता संख्या-510101006139441, आई0एफ0एस0सी0 कोड- CORP0000287 में किया जायेगा।

ह0/-

(अतुल श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।

संख्या- 8/2022/(1)/79-वि-1-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-79-1001(099)/91/ 2021/1/61484/2021, दिनांक 31 मार्च,2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ (लेखा कोष्ठक के माध्यम से) ।

3- अनु सचिव (लेखा), न्याय अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2021 के क्रम में मूल देयक/टैक्स इनवाइस संख्या- आरएसई/04080, दिनांक 30 मार्च 2021 तथा भुगतान आदेश की एक अतिरिक्त प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त धनराशि का भुगतान मे0 रेलेण्ड सर्जिकल इम्पोरियम, लालबाग, लखनऊ को उनके कार्पोरेशन बैंक, शाखा कैसरबाग, लखनऊ स्थित खाता संख्या 510101006139441, आई0एफ0एस0सी0 कोड- CORP0000287 में कराने का कष्ट करें।

4- न्याय अनुभाग-9 (बजट) को भुगतान हेतु स्वीकृत उपर्युक्त धनराशि रूपये 17,416/- का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु प्रेषित ।

5- मे0 रेलेण्ड सर्जिकल इम्पोरियम, लालबाग, लखनऊ को उनके इनवाइस संख्या-आरएसई/04080, दिनांक 30 मार्च, 2021 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

ह0/-

(सुरेश कुमार शर्मा)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।